निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 11 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, भवाली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला क्रीडा अधिकारी चमोली गोपे **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, भवाली** के माह 05/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, श्री मनीष श्रीवास्तव।स0ले0प0 अधि0 तथा श्री नन्दन , लेखा परीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी,के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.05.2018 से 04.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार पाण्डेय एवं श्री मनोज खण्डूरी सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2016 से 02.06.2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 4/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, भवाली** में मार्ग,सेतु निर्माण एवं रख-रखाव तथा निक्षेप के कार्य/ विधानसभा भीमताल एवं ओखलकांडा
इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ` (लाख मे)	बचत (-) ` (लाख मे)
	स्थापना ` (लाख मे)	गैर स्थापना `(लाख मे)	आवंटन ` (लाख मे)	व्यय ` (लाख मे)	आवंटन ` (लाख मे)	व्यय ` (लाख मे)		
2015-16	_	_	617.35	617.35	618.62	618.62	_	-
2016-17	_	_	664.64	664.64	718.71	718.71	_	-
2017-18	_	_	810.60	810.60	1050.87	1050.87	_	-
2018-19 (upto04/2018)			711.20	115.56	130.00	130.00		

- अवशेष धनराशि वर्षांत में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	**शून्य**				
2016-17					
2017-18)					
2018-19					

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ब"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, भवाली** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 व 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

a. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया।
3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश माह. माह **09/2017** तथा 12/2017 तक की गयी।
4. फार्म-51 माह **04/2018** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :

   भाग प्रथम:..रु 2470542.00

   भाग दितीय: रु 1803291.43

5॰ खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह 04/2018 के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : 3672198.11

(ख) सामग्री क्रय : NIL

(ग) नगद परिशोधन : 7352.70

(घ) निक्षेप : 68058471.68

(ङ) भंडार : रु (-) 1349069.88

भाग-II "अ"

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : वित्तीय नियमावली के विरुद्ध कार्य निष्पादन मे रु 106.50 लाख व्यय के उपरांत 13 वर्षो बाद भी मार्ग का अपूर्ण रहना एवं विभागीय अदूरदर्शिता के कारण लागत मे रु 232.78 लाख की वृद्धि

As per Clause - 380 of Financial Handbook Vol-VI: Lapse of sanction : "- The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded ."

उत्तराखंड शासन द्वारा एस0 सी0 एस0 पी0 योजना के अंतर्गत पलड़ा से देवनगर तक मोटर मार्ग लंबाई 6.00 किमी मे नव निर्माण हेतु रु 83.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (फरवरी 2004) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही (मार्ग लंबाई 3.00 किमी) प्रदान की गयी थी। (दिसंबर 2011))। कार्य के निष्पादन हेतु 02 अनुबंध (41/ईई dated 20.07.2012 एवं 21/ईई दिनांकित 23.05.2015) चैनेज 2.00 किमी तो 3.00 किमी रु 26.59 लाख हेतु गठित की गयी थी जिसके समाप्त होने की तिथि अप्रैल 2013 थी, को मई 2016 मे पूर्ण किया गया । फार्म-64 (मार्च 2018) के अनुसार कार्य पर कुल व्यय रु 83.40 लाख के उपरांत 03 किमी मार्ग का निर्माण पूर्ण किया गया था। । जिसके पश्चात अवशेष मार्ग के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन 232.78 लाख (कुल 355.00 लाख) हेतु शासन को प्रेषित किया गया (फरवरी 2018).

अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, भवाली के लेखा परीक्षा मे पाया गया कि खंड द्वारा न केवल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमावली वाल्यूम- VI का उल्लंघन करते हुये कार्य की वित्तीय स्वीकृति के 08 वर्षो बाद कार्य को प्रारम्भ किया गया अपितु उसके उपरांत कार्य को विभिन्न टुकड़ो मे विभक्त कर अनियमित रूप से कार्यो को पूर्ण करने मे देरी करते हुये तथा clear Land न होते हुये भी एस0 सी0 एस0 पी0 योजना के अतिरिक्त जिला योजना के अंतर्गत भी 0.85 मार्ग लंबाई मे स्वीकृति प्राप्त कर कार्य पर कुल रु 106.40 लाख का व्यय किया गया था इसके उपरांत भी कार्य पूर्ण न होने से देवनगर गाँव को जोड़ा नहीं जा सका (प्रतिवेदन मे उक्त दोनों ग्रामो के मध्य और किसी भी ग्राम का जुड़ना परिलक्षित नहीं था) जिससे कार्य पर किया गया उक्त व्यय एक निरर्थक व्यय था। पुनः अवशेष मार्ग लंबाई किमी 2.15 को पूर्ण करने हेतु एक पुनरीक्षित आगणन रु 355.55 लाख हेतु जो मूल स्वीकृति से 232.78 लाख अधिक पर था, को शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया (फरवरी 2019) जिसकी स्वीकृति शासन से वर्तमान तक अप्राप्त थी। खंड द्वारा उक्त कार्य से संबन्धित सभी अनुबंध एवं उसके व्यय विवरण भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जा सका जो विभागीय शिथिलता को परिलक्षित करता है।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुये बताया गया कि कार्य के मार्ग के समरेखन मे अति घने जंगल होने के कारण वनभूमि की स्वीकृति मे अत्यधिक समय लगने एवं तदोपरांत मार्ग मे नाप भूमि के विवाद होने कारण मार्ग निर्माण एवं प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने मे विलंब हुआ। जिला योजना से कार्य कराने के संबंध मे बताया गया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के दबाब मे कुछ लंबाई मे कार्य कराया गया।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा उपरोक्त के सम्बंध मे न केवल अस्पष्ट उत्तर दिया गया अपितु वन विभाग से स्वीकृति, नाप भूमि संबन्धित विवाद एवं कार्य से संबन्धित पूर्ण अभिलेख /साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः विभागीय शिथिलता के कारण रु 106.50 व्यय के उपरांत भी न केवल मार्ग निर्माण के उद्देशय की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा अपितु अवशेष मार्ग निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति माह 02/2018 मे प्रेषित किए जाने के कारण मार्ग की लागत मे भी रु 232.78 लाख की अप्रत्याशित वृद्धि हुई, का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2 : निक्षेप मद मे रु 49.49 लाख की वसूली का लंबित रहना

अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0नि0 वि0, भवाली के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि खंड द्वारा निक्षेप मद मे विभिन्न विभागो (संग्लनानुसार) के कराये गए कार्यो के सापेक्ष कुल रु 49.97 लाख की धनराशि अधिक व्यय की गयी थी जो माह 07/1996 से माह 01/2014 के मध्य की थी और जिसकी वसूली वर्तमान तक भी नहीं की जा सकी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे उक्त तथ्य को स्वीकार्य करते हुये कहा गया कि इसके समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः खंड के उत्तर से स्वत स्पष्ट है कि खंड द्वारा न केवल आवंटन से अधिक धनराशि व्यय कर कार्यो का निष्पादन किया गया अपितु उक्त धनराशि रु 49.49 लाख की वसूली मे भी शिथिलता बरती गयी, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-3 : चाहरदीवारी निर्माण कार्य में अनियमितताएँ ` 2.53 करोड़।

उत्तराखण्ड न्यायायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली में चाहरदीवारी के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ` 262.61 लाख माह 12/2013 में प्रदान की गई थी एवं प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा क्रमशः ` 178.74 लाख (माह 04/2014) एवं ` 83.87 लाख (माह 08/2015) में प्रदान की गई थी। खण्ड की लेखापरीक्षा माह जून 2018 में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु प्रथम प्राविधिक स्वीकृति ` 178.74 लाख कि प्रदान की गई थी। नियमतः ` 1.50 करोड़ की निविदा होने पर online निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है किन्तु online आमंत्रण से बचाने हेतु निविदा की लागत घटाकर ` 144.46 लाख कर दी गई थी। दीर्घकालीन के स्थान पर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई थी। आगे यह भी देखा गया कि प्रावधिक स्वीकृति अर्थात दरें, मात्रा एवं मदें स्वीकृत होने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित कर दी गई थी। आगणन बढ़ा-चढ़ा कर (inflated) तैयार किया गया था (` 262.61 लाख) जबकि मात्र ` 187.16 लाख पर कार्य समाप्त हो गया था। किन्तु कार्य पर 03/2018 तक मूल स्वीकृति (` 262.61 लाख) के सापेक्ष कुल ` 253 लाख व्यय किया जा चुका था। बची हुई धनराशि को समर्पित न कर अन्य मदों में व्यय कर दी गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य अनुबंधित समय से सात माह बाद पूर्ण हुआ था किन्तु ठेकेदार पर कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा स्वीकार किया गया कि ` 1.50 करोड़ से कम होने के कारण online निविदा आमंत्रित नहीं की गई। अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पर उचित जवाब नहीं दिया गया तथा देरी से कार्य समाप्त करने पर पूछे जाने पर स्वीकार किया गया कि ठेकेदार के अन्य देयकों से वसूली की जाएगी। बचतों को समर्पित न करने पर बतलाया कि ग्राहक विभाग के निर्देशों पर कुछ कार्य कराये गए।

अतः ` 2.53 करोड़ के कार्य अनियमततापूर्ण तरीके से किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-4 : ` 2.35 लाख की रॉयल्टी की कम वसूल किया जाना।

शासन अधिसूचना 842/VIII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 द्वारा रॉयल्टी कि दरों को ` 194.50 से संशोधित करते हुये ` 154 प्रति घन मीटर कर दिया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाया गया कि माह अगस्त 2017 के वाउचरो में संविदकरों के देयकों से ` 330815/- रॉयल्टी की कटौती ` 90 की दर से की गयी है। जबकि रॉयल्टी की बढ़ी दरें मई 2016 से ही प्रभावित हो गयी थी। कम दरों से रॉयल्टी कि कटौती किए जाने के कारण ` 2.35 लाख (संलग्नक 2) के राजस्व से राज्य को वंचित रहना पड़ा।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः ` 2.35 लाख की रॉयल्टी की कम वसूल किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर-1 : ` 16.22 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 3 (10) अनुसार "निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोए छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार ` 3,00,000/- से अधिक की सामाग्री निविदा आमंत्रित करके ही अधिप्राप्ति की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाया गया कि माह अगस्त 2017 में नौ सप्लाइ आदेशों व मार्च 2018 में दो सप्लाइ आदेशों का भुगतान (कुल ` 9,27,636) किया गया जिसके द्वारा कुल 1434 delinator post के क्रय किया गया। आगे पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में कुल `16.22 लाख के delinetor post के क्रय छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया। उक्त अधिप्राप्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुये किया जाना चाहिए था। परन्तु इकाई द्वारा प्रावधानों को सुनिश्चित किए बिना ही `16.22 का क्रय टुकड़ों में किया गया।

इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि delinetor post की अलग-अलग मार्गो में आवश्यकता अनुसार अगल अलग आपूर्ति की गई। इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि माह मई 2017 में 4, माह जून 2017 में 4 व माह अक्तूबर में 8 सप्लाइ आदेश जारी कर delinetor post क्रय किया जाना दर्शाता है कि इकाई को delinetor post की आवश्यकता का संज्ञान था। इस प्रकार इकाई द्वारा अधिप्राप्ति नियमों की अवहेलना की गयी।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 की अवहलेना कर ` 16.22 लाख के अनियमित क्रय का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
42/2005-06	-	01,02,05
17/2006-07	1	
62/2014-15	-	1,2,3
13/2016-17	-	4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रस्तुत नहीं की गयी				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, भवाली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   1.पलड़ा-देवनगर मार्ग के आंशिक अभिलेख प्रस्तुत किए गए।

   2. माप पुस्तिका संख्या: 392,400,451 (BL)

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) Nil

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम
श्री हिम्मत सिंह रावत	अधिशासी अभियंता
श्री ए. वी. काण्डपाल	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, अस्थायी खंड, लो0 नि0 वि0, भवाली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खंड-2